तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 10 / 2016 दुर्गाराम बनाम पुष्पा आदि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क(1) आर.टी.एक्ट	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
23.07.2019	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के दाहराते हुए प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु चक 24 एन.पी. के मु.नं. 35 के कि.नं. 21 ता 25 में 2 बिस्वा रास्ता स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी सं. 3–4 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए मु.नं. 35 के कि.नं. 1 ता 5 में रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृतशुदा हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी सं. 1–2 ने अपने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम चक 24 एनपी के मु.नं. 34–56–53–36 में 38 बीघा भूमि है। प्रार्थी को प्रत्येक रकबा में जाने के लिए रास्ता स्वीकृत हैं जो उसकी स्वयं की कृषि भूमि से होकर जाता हैं। प्रार्थी ने कि.नं. 21 ता 25 में रास्ता की मांग की हैं, जबकि कि.नं. 1 ता 5 में पहले से ही रास्ता चालू हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया। उभय पक्ष के अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया। एवं पत्रावली का अवलोकन किया। मुताबिक रिपोर्ट भू. अभिलेख निरीक्षक ठण्डी के अनुसार प्रार्थी दुर्गाराम को मु.नं. 36 के कि.नं. 19 ता 22 में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थी के मु.नं. 36 के कि.नं. 19 ता 22 में जाने हेतु मु.नं. 36 के कि.नं. 1 ता 5 में गैर. मुमकिन रास्ता दर्ज रिकार्ड हैं। तथा इसी मु.नं. 36 के कि.नं. 1 से दक्षिण दिशा में दो–दो बिस्वा रास्ता कि.नं. 1–10–11 में 0.025है0 रास्ता स्वीकृत किये जाने पर प्रार्थी को निकटतम रास्ता उपलब्ध हो जाएगा। मु.नं. 36 के कि.नं. 1–10–11 का रकबा खातेदार ओमप्रकाश–रामचन्द्र–मोहनलाल वल्द बिहारीलाल कौम मेघवाल सा. देह हर तीन बहिब खातदार दर्ज हैं। चूंकि अप्रार्थी सं. 1–2 की भूमि में पहले से ही कि. नं. 1 ता 5 में रास्ता स्वीकृत हैं। ऐसी स्थिति में यदि अप्रार्थी की भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाता है, तो अपूर्णीय क्षति अप्रार्थी को होगी। मुताबिक रिपोर्ट भू. अभिलेख निरीक्षक ने मु.नं. 36 के कि.नं. 1 से दक्षिण दिशा में दो–दो बिस्वा रास्ता कि.नं. 1–10–11 में 0.025है0 रास्ता स्वीकृत किये जाने की अनुशंषा की हैं। जो उचित प्रतीत होती हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि के खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया हैं। ऐसी स्थिति में बिना खातेदारान को सुने एकपक्षीय निर्णय पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी पक्षकारों के कुसंयोजन के आधार पर खारिज किया जाता हैं। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (संदीप कुमार) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर	

Scanned by CamScanner